चालीस के दशक के पीड़ितों के साथ अन्याय

1940 के दशक में यूएस सरकार ने ग्वाटेमाला में चिकित्सा सम्बंधी कुछ प्रयोग किए थे जिनके परिणाम भयानक साबित हुए थे। इन प्रयोगों के दौरान 1300 से ज़्यादा ग्वाटेमालावासियों को जानबूझकर सिफलिस, गनोरिया या चेंक्रॉइड के कीटाणुओं से संक्रमित किया गया था। अधिकांश लोग गरीब थे। इन लोगों को न तो इसके बारे में बताया गया था, न ही इन प्रयोगों के लिए उनकी सहमति ली गई थी। इसके अलावा 5128 बच्चों और वयस्कों के खून व सेरेब्रोस्पाइनल द्रव के नमूने भी उनकी सहमति के बगैर लिए गए थे। कई लोगों को बीमारियां हुई थीं और वे मौत के शिकार हो गए थे। इसके अलावा, कई लोगों से यह संक्रमण उनके पति/पत्नी या बच्चों में भी पहुंच गया था।

2010 में जब इस बात का खुलासा हुआ था कि ग्वाटेमाला के कैदियों, वेश्याओं, अनाथों, सैनिकों और मरीज़ों पर ऐसे भयानक प्रयोग किए गए थे तो अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और स्वास्थ्य मंत्री केथलीन सेबेलियस ने माफी भी मांगी थी और एक नैतिकता आयोग ने इस मामले की जांच की थी। आयोग की रिपोर्ट आने के साथ ही पीड़ितों के वकीलों ने मुआवज़े की मांग की है।

मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां यूएस सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि वह इस मुकदमे को खारिज कर दे क्योंकि 60-70 साल पहले हुए इस अनैतिक प्रयोग के लिए आज के अधिकारियों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यूएस सरकार ने तो यहां तक कहा है कि जिन अधिकारियों ने ये प्रयोग किए थे, उन्होंने यह काम अपनी सरकारी ड्यूटी के हिस्से के रूप में किया था और इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लिहाज़ा यूएस सरकार कह रही है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तथा सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इस मामले में दोषी नहीं है।

कई लोगों का कहना है कि हो सकता है कि यूएस सरकार की राय कानूनी रूप से सही हो मगर नैतिक रूप से सरकार ज़िम्मेदार है और पीड़ितों को मुआवज़ा व हर्ज़ाना मिलना चाहिए। यही न्याय का तकाज़ा है। और तो और, वकील यह भी कह रहे हैं कि चाहे 1940 के दशक के अधिकारी अब नहीं हैं, मगर यूएस सरकार तो एक निरंतर चली आ रही संस्था है और वह अपनी जवाबदेही से नहीं मुकर सकती। वकीलों का कहना है कि यदि मुआवज़े का भुगतान नहीं किया जाता, तो यूएस द्वारा की गई क्षमा याचना बेमानी साबित होगी।

वैसे यूएस के स्वास्थ्य व मानव सेवा विभाग ने घोषणा की है कि वह ग्वाटेमाला में यौन वाहित रोगों के उपचार के काम पर 7 लाख 75 हज़ार डॉलर खर्च करेगा। इससे इतना तो संकेत मिलता ही है कि यूएस में अपनी नैतिक जवाबदेही का कुछ एहसास तो है। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूएस इस मामले में अपनी पूरी कानूनी व नैतिक ज़िम्मेदारी को स्वीकार करेगा। ***(स्रोत फीचर्स)***